सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 111/2019 दायर दिनाँक 08.04.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुनीता पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जमनादेवी पत्नी रामदेवाराम, 2. देवली पत्नी देवाराम, 3. गंगाराम पुत्र नारायणराम, 4. मदनलाल पुत्र नारायणराम, 5. नेमीचन्द पुत्र केशाराम, 6. सुरेश पुत्र केशाराम, 7. बजरंगलाल पुत्र केशाराम, 8. राजेन्द्र पुत्र केशाराम, 9. प्रमेश्वरलाल पुत्र केशाराम, 10. शान्ति पत्नी केशाराम, समस्त,जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री छोटूराम चौधरी, वकील, वादी।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **30.10.2019**

मौजा सरहद तोषिणा के खेत खसरा नम्बर 680 रकबा 15.04 बीघा, खसरा सं0 1559/680 रकबा 16.05 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 111/2019
दायर दिनाँक 08.04.2019, अंतिम निर्णय दिनाँक 30.10.2019
सुनिता बनाम जमनादेवी, वगैरा।

विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 13.09.2019 को तहसीलदार डीडवाना निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 2195 दिनाँक 16.10.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 2195 दिनाँक 16.10.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद तोषिणा के खेत खसरा नम्बर 680 रकबा 15.04 बीघा व खसरा सं0 1559/680 रकबा 16.05 बीघा भूमि का ''बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2195 दिनाँक 16.10.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2195 दिनाँक 16.10.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनाँक **30.10.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 111/2019 दायर दिनाँक 08.04.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुनीता पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जमनादेवी पत्नी रामदेवाराम, 2. देवली पत्नी देवाराम, 3. गंगाराम पुत्र नारायणराम, 4. मदनलाल पुत्र नारायणराम, 5. नेमीचन्द पुत्र केशाराम, 6. सुरेश पुत्र केशाराम, 7. बजरंगलाल पुत्र केशाराम, 8. राजेन्द्र पुत्र केशाराम, 9. प्रमेश्वरलाल पुत्र केशाराम, 10. शान्ति पत्नी केशाराम, समस्त,जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 30.10.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री छोटुराम चौधरी, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर सरहद तोषिणा के खेत खसरा नम्बर 680 रकबा 15.04 बीघा व खसरा सं0 1559/680 रकबा 16.05 बीघा भूमि का ''बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2195 दिनाँक 16.10.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 2195 दिनाँक 16.10.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–...........
........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.10.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूप या	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–111–2019/रीडर/2019/ दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः – निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुनीता पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जमनादेवी पत्नी रामदेवाराम, वगैराह समस्त,जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner